

फर्द अहकाम
न्यायालय उपसत्र अधिकारी नैनवां,
जिला- बुन्दी (राज.)

केस नं.

शमूलाल कन्या

क्रिम मुकदमा

97/908/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14/6/22	<p>वाच पत्र/ प्राथम पत्र अन्तर्गत धारा 212 Cr.P.C. द्वारा वकील श्री <u>शमूलाल शर्मा</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अदलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्राधीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 14.7.22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
14.7.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारण उपस्थित है। पीठमैन अधिकारी महोदय बौरे/ अन्वय/अन्वय राजकर्ता में तस्दीक रखते हैं। पत्रावली दि. 12/8/22 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
19/7/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा ने प्रार्थना में क्रॉड कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र वास्ति विद्वो करने पेश किया। वकील शर्मा ने निवेदन किया कि शर्मा ने नवीन वाद प्रस्तुत कर दिया है। अतः इस प्रार्थना पत्र को विद्वो करने की कृपा करें। वकील शर्मा का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र विद्वो करने की स्वीकृति दी जाती है। निषेध सुनाया गया। पत्रावली बाद तस्मील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपसत्र अधिकारी नैनवां (बुन्दी)</p>	

